Q2 आयकर अधिनियम की धारा 23 के अनुसार,'वार्षिक मूल्य ' को परिभाषित कीजिये |

Ans वार्षिक मूल्य (Annual Value)–'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में करदाता सम्पत्ति से प्राप्त आय पर कर देता है न कि उससे प्राप्त किराये पर सकल वार्षिक मूल्य को आयकर अधिनियम की धारा 23 (1) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार वार्षिक मूल्य का तात्पर्य-

(अ) उस राशि से है जितने में सम्पत्ति उचित रूप से प्रति वर्ष किराये पर उठाई जा सकती है; अथवा

(ब) यदि सम्पत्ति या उसका कोई भाग किराये पर उठाया गया है तथा सम्पत्ति पर प्राप्त या प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया उक्त (अ) में वर्णित किराये से अधिक है तो प्राप्य अथवा प्राप्त होने वाला किराया; अथवा

(स) यदि सम्पत्ति या उसका कोई भाग किराये पर उठा हुआ है तथा गत वर्ष में पूरी अवधि अथवा आंशिक अवधि के लिये खाली रहा है तथा ऐसे खाली रहने के कारण स्वामी को इससे वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया उक्त (अ) में वर्णित राशि से कम है, तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य किराया।

स्पष्टीकरण– उपरोक्त (ब) अथवा (स) के लिये स्वामी द्वारा वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराये की राशि में किराये की वह राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता। इस प्रकार, वास्तविक प्राप्त किराये की गणना गत वर्ष के वसूल न हुए किराये को छोड़कर की जायेगी यदि कुछ शर्तें पूरी होती हों।

सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण (Determination of Gross Annual Value) — सकल वार्षिक मूल्य की गणना के लिये उचित किराये की गणना करना अति आवश्यक है। किसी सम्पत्ति का उचित किराया अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। एकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते समय निम्नलिखित चार तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है—

(1) प्राप्त एवं प्राप्य किराया (Rent Received or Receivable)- सम्पत्ति जितने किराये पर उठाई जाती है वही राशि सम्पत्ति का किराया होती है। यदि स्वामी ने किरायेदार को किराये की शर्तों के अन्तर्गत माली की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, बिजली-पानी की सुविधा, सफाई कर्मचारी की सुविधा, पार्किंग की सुविधा आदि अपने व्यय पर दे रखीं हैं, तो स्वामी द्वारा प्राप्त संयुक्त किराये की राशि में से इन सुविधाओं पर किये गए व्यय को घटाकर आने वाली राशि ही सम्पत्ति का वास्तविक प्राप्त किराया होगा परन्तु इन

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सुविधाओं पर चौकीदार को देय वेतन को वार्षिक मूल्य निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा। इसी प्रकार प्राप्त या प्राप्य किराये में वसूल न हुआ किराया सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अतः वसूल न हुआ किराया तथा खाली रही अवधि का किराया प्राप्त अथवा प्राप्य किराये की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) मकान सम्पत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन (Municipal Valuation of House Property) — प्रत्येक नगर की स्थानीय सरकार (नगरपालिका, नगर महापालिका अथवा नगर निगम) द्वारा अपनी स्थानीय सीमाओं में स्थिति मकान सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जिसे नगरपालिका मूल्यांकन कहा जाता है। यह मूल्यांकन सम्पत्तियों के आकार, बनावट, घिरी हुई जगह अथवा कवर्ड एरिया (Covered Area) एवं उनकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय सरकार द्वारा गृह-कर, जल कर, सफाई कर आदि वसूल किया जाता है।

(3) उचित किराया (Reasonable or Fair Rent)– किसी सम्पत्ति पर जो अनुमानित किराया प्राप्त होता है वह उचित किराया कहलाता है। कभी-कभी कोई सम्पत्ति उचित किराये से भी कम किराये पर उठाई जाती है तो कभी-कभी उचित किराये से भी अधिक किराये पर उठाई जाती है। अतः उचित किराया तथा प्राप्त किराया में अन्तर होता है। उचित किराये का निर्धारण सम्पत्ति के निर्माण की लागत, सम्पत्ति की स्थिति, सम्पत्ति की पड़ौसी सम्पत्तियों के किराये तथा सम्पत्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(4) मानक या प्रमापित किराया (Standard Rent) – जिन शहरों में किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू होता है वहाँ मकानों का किराया, किराया नियन्त्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे मानक या प्रमापित किराया कहा जाता है। मानक किराया वह अधिकतम किराया होता है जिससे अधिक किराया कोई भवन स्वामी विधिक रूप से नहीं ले सकता है। यदि किसी सम्पत्ति पर किराया नियन्त्रण कानून द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया प्राप्त किया जा रहा है तो वह भी उस सम्पत्ति का सकल वार्षिक मूल्य होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Q3 आयकर अधिनियम की धारा 17 में 'वेतन ' शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? 'वेतन' शीर्षक से आय की गणना में, कटौतियां, यदि कोई हो, उनका वर्णन कीजिए |

Ans वेतन (Salary) — आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगाने तथा कुल आय की गणना करने के लिये करदाता की समस्त आयों को पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है तथा इन शीर्षकों में से वेतन से आय' प्रथम शीर्षक है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 'वेतन' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गयी है। किसी कर्मचारी को शारीरिक अथवा मानसिक श्रम या कोई कार्य करने के प्रतिफल में नियोक्ता या स्वामी द्वारा जो भुगतान किया जाता है वह वेतन या मजदूरी या पारिश्रमिक कहलाता है। यह पारिश्रमिक मासिक या निर्धारित अन्त रालों पर भी दिया जा सकता है तथा इस पारिश्रमिक में नकद राशियों के अतिरिक्त उन सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है जो किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा प्राप्त होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अनुसार देय वेतन (Salary due) प्राप्त वेतन (Salary received) एवं बकाया वेतन (Arrears of salary) से प्राप्त आयों पर आयकर देय होता है। यदि किसी वेतन को अग्रिम मिलते समय कुल आय में जोड़ लिया गया है तो उसको देय लेते समय नहीं जोड़ा जायेगा तथा यदि किसी वेतन को देय होते समय कुल आय में जोड़ लिया गया है तो उसे प्राप्त होते समय नहीं जोड़ा जायेगा। इस प्रकार, यदि पिछले बकाया वेतन की धनराशि जिसको कुल आय में नहीं जोड़ा गया था, उस समय कुल आय में जोड़ लिया जायेगा जब वह प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी राशि पर दो बार आयकर न लगे।

वेतन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम अथवा बिन्दु (Important Rules or Points Relating to Salaries)— 'वेतन से आय' शीर्षक के अधीन 'वेतन' के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम अथवा सिद्धान्त अथवा बिन्दु महत्वपूर्ण हैं

(1) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति एवं देने वाले व्यक्ति के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध होना चाहिए। नियोक्ता एक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई कम्पनी, फर्म या संस्था भी हो सकती है।

(2) आयकर की दृष्टि से एक क्लर्क या मैनेजर आदि को प्राप्त वेतन तथा किसी मजदूर को प्राप्त होने वाली मजदूरी मे कोई अन्तर नहीं होता है। इन दोनों को ही कर योग्य आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है।

(3) किसी विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन 'वेतन से आय' शीर्षक में सम्मिलित किये जाते हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(4) विदेशी मुद्रा में प्राप्य या प्राप्त वेतन को रुपयों के लिये एक निश्चित तारीख पर विनिमय-दर प्रयोग की जायेगी। निश्चित तारीख से आशय उस माह से ठीक पूर्व माहू के अन्तिम दिन से है जिसमें वेतन देय होता है अथवा अग्रिम वेतन का भुगतान होता है अथवा बकाया वेतन प्राप्त होता है।

(5) कर्मचारी का बकाया वेतन प्राप्ति के आधार (Receipt basis) पर कर योग्य होता है, देय आधार पर नहीं। यदि किसी कर्मचारी को पिछले किसी वर्ष का कोई वेतन या भत्ता वर्तमान या पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होता है तो यह चालू वित्तीय वर्ष में वेतन की आय में शामिल किया जायेगा बशर्ते इस बकाया वेतन पर पिछले वर्षों में कोई भी कर नहीं लगाया गया हो।

(6) यदि कोई कर्मचारी किसी गति वर्ष में अपने नियोक्ता से आवश्यकता पड़ने पर आगामी महीनों का कुछ वेतन अग्रिम प्राप्त कर लेता है तो इसे 'वेतन' शीर्षक की चालू वित्तीय वर्ष की आय माना जायेगा। यह अग्रिम वेतन अगले वित्तीय वर्ष में जब वह प्राप्य होगा, कर-योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(7) किसी मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की राशिकों को 'वेतन' शीर्षक में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि वह कर योग्य नहीं होगी।

(8) यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से कोई ऋण लेता है तो उसे वेतन नहीं माना जायेगा।

(9) कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होने वाली एकमुश्त पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकांश को नकदीकरण आदि की राशि का कर योग्य भाग वेतन से आय में सम्मिलित किया जायेगा।

(10) वेतन देय या प्राप्य होते ही आय की श्रेणी में आ जाता है, चाहे उसका भुगतान बाद में किया जाये।

(11) यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को सेवा से मुक्त होने के बाद कोई भुगतान करता है से तो उसे 'वेतन की आय' शीर्षक में शामिल किया जायेगा यदि वह आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर-मुक्त न हो।

(12) यदि कोई करदाता कर्मचारी गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन 'वेतन से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य लेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(13) यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से वेतन नहीं लेता है तथा उसका त्याग कर देता है तो भी उसे वेतन का प्रयोग माना जायेगा तथा वह कर योग्य होगा। यदि कोई कर्मचारी अपने वेतन को वेतन का ऐच्छिक समर्पण (कर से मुक्ति) अधिनियम, 1961 [Voluntary Surrender of Salaries (Exemption From Tax) Act, 1961] की धारा 2 के अन्तर्गत जनहित में केन्द्रीय सरकार को समर्पित कर देता है तो इसे उसकी कर-योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(14) यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी पर लगाने वाले आयकर को स्वयं देता है तथा कर्मचारी को कर-मुक्त वेतन देता है तो भी इस आयकर की राशि को कर्मचारी की 'वेतन से आय' शीर्षक में सम्मिलित किया जायेगा।

(15) वेतन उस स्थान पर उपार्जित होना माना जाता है, जहाँ पर उस वेतन के लिये सेवा प्रदान की गयी है। भारत में उपार्जित वेतन भारत में ही अर्जित तथा उदित माना जाता है भले ही इसका भुगतान भारत से बाहर हो । इसी प्रकार, भारत में की गयी सेवाओं के बदले में विदेश में प्राप्त पेंशन भी भारत में ही उपार्जित मानी जाती है।

(16) कर्मचारी को प्राप्त महँगाई भत्ता एवं महँगाई वेतन मूल वेतन का भाग उस समय माना जायेगा जबकि वह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत हो । यदि महँगाई भत्ते एवं महँगाई वेतन को कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर उसे मिलने वाली सभी सुविधाओं हेतु वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता अथवा केवल कुछ सुविधाओं हेतु ही सम्मिलित किया जाता है तो इसे वेतन का भाग नहीं माना जायेगा। यदि महँगाई भत्ते एवं महँगाई वेतन को कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं एवं भविष्य निधि में अंशदान की गणना करने में जोड़ा जाता है तो इसे सेवा की शर्तों के अन्तर्गत माना जायेगा तथा मूल वेतन का ही अंग होगा।

(17) सामान्यतया कर्मचारियों का वेतन उपार्जित होने की अवधि कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में । अप्रैल से 31 मार्च तक होती है तथा इस दौरान जो भी वेतन अर्जित हुआ है वही कुल वेतन की गणना में जोड़ा जायेगा। अलग-अलग संस्थानों में वेतन उपार्जित होने का समय अलग-अलग होता है। किसी राज्य में सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों का वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को देय माना जाता है तो किसी राज्य में उसी माह की अन्तिम तारीख को भी देय माना जाता है। इस सम्बन्ध में सामान्यत: निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है—

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(i) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों का वेतन अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित होना माना जाता है, अत: इनका मार्च का वेतन अप्रैल में प्राप्य माना जायेगा। इनके लिए पहली मार्च से फरवरी तक का वेतन ही कर योग्य वेतन में जोड़ा जाता है।

(ii) गैर सरकारी कर्मचारियों एवं बैंक कर्मचारियों का वेतन माह ही अन्तिम तिथि को अर्जित हुआ माना जाता है अतः इनका 1 अप्रैल से 31 अप्रैल मार्च तक का वेतन कर-योग्य आय में जोड़ा जाता है।

(18) 'वेतन से आय' शीर्षक में कर योग्य करदाताओं के लिये कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष गत वर्ष होता है।

(19) यदि न्यायालय द्वारा किसी कर्मचारी के वेतन को रोका जाता है, तो उसे भी वेतन से आय' निकालते समय उसकी आय में शामिल किया जायेगा क्योंकि वेतन देय हो चुका है।

(20) अधिकांशत: नौकरी में कर्मचारियों की नियुक्ति वेतनमान (Salary-Grades) के आधार पर होती है। यह वेतनमान कर्मचारी के मूल वेतन को बताता है। यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति 26,000-2,000-50,000 रुपये के वेतनमान में होती है तो इसका आशय यह है कि नियुक्ति के समय उस व्यक्ति का मूल वेतन 26,000 रुपये है जिसमें प्रति वर्ष 2,000 रुपये की वृद्धि होगी तथा यह वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक कि उस व्यक्ति का मूल वेतन 50,000 रुपये तक नहीं पहुँचता है। इस वेतनमान के आधार पर किसी भी कर्मचारी का किसी भी गत वर्ष से सम्बन्धित मूल वेतन ज्ञात किया जा सकता है।

किसी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान वेतन कहलाता है। ये सेवायें किसी स्पष्ट या गर्भित प्रसंविदा के अन्तर्गत प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गयी है, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि वेतन में क्या-क्या सम्मिलित होना चाहिये ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 के अनुसार वेतन शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित आयों पर आयकर देय होगा-

(A) देय वेतन (Salary Due) – किसी भी करदाता को गत वर्ष में अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा देय कोई भी वेतन चाहे उसका भुगतान हुआ हो अथवा न हुआ हो, कर योग्य होगा।

(B) प्राप्त वेतन (Salary Received) — गत वर्ष में अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा उसको दिया गया अथवा स्वीकृत किया वेतन चाहे वह देय न हुआ हो, कर योग्य होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(C) बकाया वेतन (Arrears of Salary)– गत वर्ष में अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोका द्वारा चुकाया गया बकाया वेतन कर योग्य होगा बशर्ते कि उस वेतन पर पूर्व किसी भी गत वर्ष में आयकर न लगा हो।

यदि करदाता को किसी गत वर्ष की कुल आय में कोई एडवांस वेतन सम्मिलित कर लिया गया है, तो यह वेतन देय होने पर उसकी कुल आय में पुन: सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

K.R.K. Raman vs. I.T.C., (1966) 62. I.T.R. 343 के मामले में प्रतिपादित किया गया कि 'वेतन' शब्द के अर्थों में निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशियाँ जो प्राप्त न भी हुई हों तथा वेतन का अग्रिम भुगतान जो प्राप्त न हो, दोनों को ही सम्मिलित कर लिया गया है।

आयकर आयुक्त बनाम वी. आर. राजरत्नम, (1979) 119, 1.T.R. 89 के मामले में निर्धारित किया गया कि अग्रिम वेतन के अतिरिक्त नियोजक द्वारा ऋण के रूप में दिये गए अग्रिम भुगतान को आय नहीं माना जाता है।

वेतन का अर्थ धारा 15, 16 तथा 17 के उद्देश्य के लिए 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राप्तियाँ या अनुलाभ सम्मिलित किये जाते हैं

(i) पारिश्रमिक (Wages);

(ii) कोई वार्षिकी या निवृत्ति वेतन (Any annuity or pension);

(iii) कोई विश्रामानुदान (Any gratuity);

(iv) वेतन या पारिश्रमिक के अतिरिक्त या उसके स्थान पर प्राप्त कोई लाभ, अनुलाभ, कमीशन या शुल्क (Any fees, commissions, perquisites or profits in lieu of or in addition to any salary or wages);

(v) कोई अग्रिम वेतन (Any advance salary); (vi) अवकाश न लेने के बदले में कर्मचारी को प्राप्त कोई राशि;

(vii) किसी कर्मचारी की मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के शेप में दी गई वार्षिक वृद्धि नियोजक द्वारा 12% से अधिक योगदान तथा 12% से अधिक दिया गया भविष्य निधि पर ब्याज

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(viii) किसी कर्मचारी की अमान्य भविष्य निधि से मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में हस्तान्तरित की गई कराधेय राशि

(ix) स्वैच्छिक भुगतान (Voluntary payment);

(x) कर्मचारी की पेंशन योजना में अंशदान (Contribution in employees' pension scheme) ।

[नोट–वेतन में सम्मिलित विभिन्न मदों को इससे पूर्व प्रश्न में स्पष्ट किया जा चुका है।] वेतन से की जाने वाली कटौतियाँ (Deduction from Salaries) – नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गयी कटौतियों को आय का प्रयोग माना जाता है; जैसाकि McGraw Vs. Lewis के मामले में अवधारित किया गया है। नियोक्ता द्वारा स्वयं अथवा कर्मचारी के निर्देश पर वेतन में से प्रोविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के अंशदान की राशि, नियोक्ता के मकान में रहने की दशा में किराये की राशि नियोक्ता से प्राप्त ऋण के ब्याज तथा मूलधन की किश्त की राशि तथा कर्मचारी के बीमा के सम्बन्ध में प्रीमियम की राशि आदि को काटा जाता है। ये वेतनों से की जाने वालो कटौतियाँ हैं।

वेतन शीर्षक में कर योग्य वेतन की गणना आयकर अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत दी गयी कटौतियों को घटाने के बाद की जाती हैं। ये कटौतियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance)– यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से कोई मनोरंजन भत्ता दिया जाता है तो ऐसे भत्ते की सम्पूर्ण राशि सर्वप्रथम कर्मचारी के 'वेतन' शीर्षक की आय में जोड़ी जायेगी तथा उसके बाद धारा 16(ii) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की दशा में उसके मूल वेतन का एक बटा पाँच भाग या पाँच हजार रुपये या गत वर्ष में प्राप्त मनोरंजन भत्ता, इनमें में जो भी कम हो, कटौती के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस कटौती की गणना के लिये 'मूल वेतन' में कोई भत्ता, लाभ, अनुलाभ या महँगाई वेतन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि मनोरंजन भत्ता पाने वाला सरकारी कर्मचारी इसमें से कुछ राशि ग्राहकों के मनोरंजन पर व्यय करता है तो उसका इस कटौती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस भत्ते की कोई राशि व्यय न करने पर भी यह कटौती प्रदान की जाती है। परन्तु किसी गैर-सरकारी कर्मचारी या किसी वैधानिक निगम के कर्मचारी अथवा स्थानीय निकाय आदि के कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कोई कटौती प्रदान नहीं की जाती है।

(2) व्यवसाय कर (Professional Tax or Tax on Employment) - कर्मचारी द्वारा चुकाया गया कोई भी ऐसा कर जो उसने अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में चुकाया है, उसके 'वेतन' शीर्षक की आय की गणना

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

करने में धारा 16 (iii) के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अन्तर्गत किसी कानून द्वारा किसी भी व्यवसाय पर लगाया गया कर व्यवसाय कर' कहलाता है। इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य सरकार किसी व्यक्ति पर दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक व्यवसाय कर नहीं लगा सकती है।

इस कटौती को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारी ने इस कर की राशि वास्तव में चुकाई हो। यदि कर्मचारी की तरफ से उसके नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाता है तो ऐसा भुगतान कर्मचारी के लिये धारा 17(iv) के अन्तर्गत सामान्य अनुलाभ होगा तथा यह राशि सर्वप्रथम अनुलाभ के रूप में कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जायेगी तथा इसके पश्चात् सकल वेतन से यह कटौती प्रदान की जायेगी। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस कटौती के लिये कोई भी मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं है। यदि किसी कर्मचारी ने गत वर्ष में पाँच हजार रुपये व्यवसाय कर के रूप में चुकाये हैं तो इस सम्पूर्ण धनराशि की कटौती प्रदान की जायेगी।

कार्यरत कर्मचारियों के कर योग्य वेतन की गणना (Computation of Taxable Salaries of Working Employees) — कार्यरत कर्मचारी का आशय ऐसे कर्मचारी से है जिसने अवकाश प्राप्त नहीं किया है तथा वह अब भी अपने नियोक्ता के यहाँ सेवारत है तथा नियमित रूप से अपने नियोक्ता से मासिक अथवा नियत अंतराल में वेतन, भत्ते तथा अनुलाभ प्राप्त कर रहा है। कर्मचारी इसके अतिरिक्त अपने नियोक्ता से फीस, कमीशन, बोनस या अन्य लाभ या पारिश्रमिक अथवा वेतन के स्थान पर अन्य लाभ भी प्राप्त करता रहता है। ये सभी भुगतान 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक नियोक्तओं के यहाँ कार्य करता है तो वह उन सभी नियोक्ताओं से वेतन तथा अन्य लाभ प्राप्त करता है तथा ये सभी उसकी वेतन से आय में सम्मिलित किये जाते हैं। वह किसी भी नियोक्ता से ग्रेच्युटी, पेंशन छुट्टियों का नकदीकरण, सेवा शर्तों के परिवर्तन या संशोधन पर क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि पर ब्याज आदि का भुगतान की प्राप्त कर सकता है। ये सभी भुगतान उसके कर-योग्य वेतन में सम्मिलित किये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी राशि चाहे किसी भी नाम से जानी जाये तथा कितनी ही मात्रा में हो यदि नियोक्ता से कर्मचारी को उसकी सेवाओं के प्रतिफल में मिलती है तो वह निश्चित रूप में वेतन शीर्षक में ही कर योग्य होगी।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के कर योग्य वेतन की गणना (Computation of Taxable Salaries of Retired Employees) – जो व्यक्ति अपनी सेवा अवधि पूरी कर लेता है उसे अवकाश प्राप्त कर्मचारी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिये निवृत्ति (सुपर एनुएशन) अथवा अवकाश ग्रहण की आयु पृथक्-पृथक् होती है। 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिये अवकाश प्राप्त कर्मचारी के अन्तर्गत वे कर्मचारी भी सम्मिलित किये जाते हैं जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं या छँटनी की किसी योजना के अन्तर्गत उनकी छँटनी कर दी गयी है या जिन्होंने सेवा से स्वेच्छापूर्वक अवकाश ग्रहण कर लिया है। मृतक कर्मचारी को भी अवकाश प्राप्त कर्मचारी माना जाता है।

अवकाश-ग्रहण लाभ (Retirement Benefits) — अपनी सेवा से अवकाश ग्रहण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवकाश ग्रहण लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। ये अवकाश ग्रहण लाभ उस कर्मचारी के कर योग्य वेतन में जोड़े जाते हैं। ये लाभ उस गत वर्ष की आय माने जायेंगे जिस गत वर्ष में ये प्राप्त हुए हैं। कुछ अवकाश ग्रहण लाभों की सम्पूर्ण राशि को कर योग्य वेतन में जोड़ा जाता है जबकि कुछ अवकाश ग्रहण लाभ आंशिक रूप से कर-मुक्त होते हैं। ऐसे लाभों का कर योग्य भाग ही अवकाश प्राप्त कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाता है। कुछ अवकाश ग्रहण लाभ पूर्ण रूप से कर मुक्त होते हैं जिन्हें उस कर्मचारी के कर-योग्य वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता। एक अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारी (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) को प्राप्त होने वाले अवकाश ग्रहण लाभ निम्नलिखित हैं

(i) पेंशन सामयिक / एकमुश्त राशि;

(ii) मृत्यु तथा अवकाश ग्रेच्युटी;

(iii) अर्जित अवकाशों का नकदीकरण;

(iv) छँटनी क्षतिपूर्ति;

(v) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त / देय क्षतिपूर्ति;

(vi) भविष्य निधि से प्राप्त एकमुश्त राशि |

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW